कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला बुरहानपुर (म0प्र0)

–::विविध–आदेश::–

क्र. 76/एक–15–7/15/एस.डब्ल्यू/2020 बुरहानपुर दिनांक 07.07.2021

बुरहानपुर जिले में कोविड–19 के संक्रमण का प्रभाव कम होने से तथा कार्य दिवसो के लिये कोई लॉकडाउन आदेश सक्षम प्राधिकारी व्दारा जारी नहीं किये जाने से, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक ए/113/जबलपुर, दिनांक 15.01.2021 एवं परिपत्र क्रमांक ए/1149/जबलपुर दिनांक 03.04.2021 एवं अतिरिक्त एसओपी क्रमांक ए/2003 जबलपुर दिनांक 02.07.2021 के पालन में एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक 62/एक–15–7–15/एस.डब्ल्यू./2020 बुरहानपुर दिनांक 08.06.2021 की निरंतरता में जिला मुख्यालय बुरहानुपर पर स्थित सभी न्यायालयो में तथा परिवार न्यायालय बुरहानपुर में तथा तहसील नेपानगर स्थित सभी न्यायालयों में दिनांक 08.07.2021 से सभी प्रकार के प्रकरणों की भौतिक सुनवाई किये जाने के संबंध में आगामी अन्य आदेश तक अत्यावश्यक एवं सीमित कार्य व्यवस्था हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते है :–

1– प्रत्येक न्यायालय में निम्नानुसार प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी:–

A- अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण जैसे रिमांड, जमानत आवेदन–पत्र एवं सुपुर्दगीनामा आवेदन–पत्र।

B- सिविल एवं आपराधिक अपील।

C- आपराधिक पुनरीक्षण।

D- POCSO ACT से संबंधित प्रकरण।

E- मोटर दुर्घटना दावा मामलों के संबंध में जमा राशि के भुगतान संबंधी मामले।

F- मोटर दुर्घटना दावा संबंधी मामलों में साक्ष्य, सुनवाई एवं नवीन आवेदन प्रस्तुति।

G- धारा 125 से 128 दं.प्र.सं. संबंधी मामले।

H- धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम संबंधी परिवाद ग्रहण एवं आवश्यक मामलों में सुनवाई एवं साक्ष्य।

I- किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित मामलें।

J- दत्तक ग्रहण संबंधी एवं परिवार न्यायालय से संबंधित मामले।

K- ऐसे मामलें जिनमें राजीनामा प्रस्तुत हो चुका हो।

L- अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी विवाद।

M- जेल में निरूद्ध विचाराधीन बंदियों के प्रकरण।

N- 5 वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित सिविल एवं आपराधिक प्रकरण।

O- माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय व्दारा समय–सीमा में निराकरण हेतु दिये गये निर्देश संबंधी प्रकरण।

P- स्थानीय परिस्थितियों में अन्य आवश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, जिनमें न्यायालय स्वविवेक से सुनवाई किया जाना उचित समझे।

निरंतर....

2– जिन मामलों में न्यायालय आवश्यक समझे, उनमें सुनवाई एवं साक्ष्य न्यायालय में उपस्थित होकर भी प्रस्तुत करने की अनुमति विवेक अनुसार दी जा सकती है।

3– लम्बित सत्र मामलों में भी आरोप तर्क सुने जा सकते है।

4– सिविल एवं आपराधिक मामलों में ऐसे मामलों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है, जिनमें पूर्व में साक्ष्य प्रस्तुत की जा चुकी हो या पूर्व में अधिकांश साक्ष्य होकर बहुत कम साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना शेष है।

5– मामलों की सुनवाई अधिवक्ता/पक्षकारों के लिए वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से अथवा किसी अन्य सुविधाजनक माध्यम से जारी रहेगी।

6– प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं में पक्षकारों, गवाहों एवं अधिवक्तागणों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नही होगी, बल्कि न्यायालय के आदेश से आदेश–पत्रिका में उनकी उपस्थिति दर्ज की जायेगी।

7– न्यायालयों में प्रतिदिन नियत प्रकरण की कॉज लिस्ट सूचना पटल पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

8– केवल उन पक्षकारों एवं अधिवक्तागण को ही न्यायालय में प्रवेश हेतु अनुमति होगी, जिनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत है।

9– जो न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण, पक्षकारगण और न्यायालय कर्मचारी क्वारंटाईन/आईसोलेटेड है, उनका न्यायालय परिसर में प्रवेश निषिद्ध रहेगा।

10– किसी व्यक्ति को बुखार, फ्लू और इस प्रकार के लक्षण होने पर न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि किसी अधिवक्तागण या स्टॉफ के सदस्य को बुखार, फ्लू आदि के लक्षण है, तो उसकी सूचना तत्काल बार ऐसोसिएशन/संबंधित पीठासीन अधिकारी/प्रधान जिला न्यायाधीश को दी जाएगी।

11– न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण जो न्यायालय में उपस्थित होते है, आवश्यक रूप से मास्क का उपयोग करेंगे।

12– न्यायालय परिसर में उचित सेनीटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य द्वार, बाथरूम एवं न्यायालय कॉरिडोर पर हैंडवॉश एवं सेनीटाईजर उपलब्ध कराये जाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना हैंडवॉश एवं हैंड सेनीटाईजर के न्यायालय कक्ष/न्यायालय परिसर में प्रवेश ना करें।

13– जिला मुख्यालय बुरहानपुर एवं तहसील नेपानगर स्थित सभी न्यायालयों के पीठासीन प्रभारी अधिकारी/नजारत अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि वें ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनके न्यायालय कक्ष में या बाहर बरामदा/कामन पैसेजेज, कॉरिडोर/न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेन्स का पालन करना सुनिश्चित करें।

14– न्यायालय परिसर में स्थित केंटिन, फोटोकॉपी की दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी।

15– माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, केन्द्र एवं राज्य शासन व्दारा कोविड–19 संक्रमण रोकथाम से संबंधित समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देशों का कढ़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

यह आदेश दिनांक 08.07.2021 से प्रभावशील होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

7/7/2021

(के.एस. बारिया)
प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुरहानपुर (म.प्र.)